



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06092022-238617
CG-DL-E-06092022-238617

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 428]
No. 428]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 5, 2022/भाद्र 14, 1944
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 5, 2022/BHADRA 14, 1944

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2022

फा. सं. आरईजी/प्रतिनिधित्व-एमएसईओ/एफएसएसएआई-2021.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्वन्धन) संशोधन विनियम, 2021 का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना फा.सं. आरईजी/प्रतिनिधित्व-एमएसईओ/एफएसएसएआई-2021, तारीख 22 सितम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किये गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 24 सितम्बर, 2021 को उपलब्ध कराई गई थी;

और उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्वन्धन) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) द्वितीय संशोधन विनियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011 के “कतिपय उत्पादों के विक्रय पर प्रतिषेध और निर्बंधन” से संबंधित विनियम 2.3 में, उप-विनियम 2.3.14 में, खंड (11) में, “बहु स्रोतीय खाद्य वनस्पति तेल” शब्दों के स्थान पर, जहाँ कहीं वे आते हैं, “बहु स्रोतीय खाद्य तेल” शब्द रखे जाएंगे।

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./250/2022-23]

टिप्पण- मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. फाइल सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए:

1. फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 8 फरवरी, 2013;
2. फा. सं. स्टैंडर्ड्स/ओ एवं एफ/अधिसूचना (2)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 23 अगस्त, 2016;
3. फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एफ एवं वीपी/अधिसूचना (02)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 23 अगस्त, 2016;
4. फा. सं. ए-1(1)/मानक/एमएमपी/2012, तारीख 12 अक्तूबर, 2017;
5. फा. सं. स्टैंडर्ड्स/ओ एवं एफ/अधिसूचना (8)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 31 जुलाई, 2018;
6. फा. सं. मानक/साल्ट/एमआईएससी/(01)/एफएसएसएआई-2016(पीटी-1), तारीख 25 जून, 2019;
7. फा. सं. मानक/सहयोज्य-2/अधिसूचना/एफएसएसएआई-2018, तारीख 25 जून, 2019;
8. फा. सं. स्टैंडर्ड्स/सहयोज्य-3/अधिसूचना/एफएसएसएआई/2018, तारीख 21 जुलाई, 2020;
9. फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एगमार्क-बीआईएस/02/एफएसएसएआई-2018, तारीख 20 अक्तूबर, 2020;
10. फा. सं. स्टैंडर्ड्स/ओ एवं एफ/अधिसूचना(12)/एफएसएसएआई-2019, तारीख 26 अक्तूबर, 2020;
11. फा. सं. विनियम/स्टैंडर्ड्स-केसरीदाल/एफएसएसएआई-2020, तारीख 12 जनवरी, 2021;
12. फा. सं. स्टैंडर्ड्स/ओ एवं एफ/अधिसूचना(13)/एफएसएसएआई-2019, तारीख 2 फरवरी, 2021; और
13. फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एसपी-15/टी(टी)(आईएमएसटी), तारीख 8 मार्च, 2021।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2022

F.No. REG/Representation-MSEO/FSSAI-2021.—Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on sales) Amendment Regulations, 2021, were published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) *vide* notification of the Food Safety and Standards Authority of India, F.No. REG/Representation-MSEO/FSSAI-2021, dated the 22nd September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notifications were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the **24th September, 2021;**

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on sales) Regulations, 2011, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on sales) Second Amendment Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on sales) Regulations, 2011, in regulation 2.3 relating to “Prohibition and Restriction on sale of certain products”, in sub-regulation 2.3.14, in clause (11), for the words “Multi source Edible Vegetable Oil” wherever they occur, the words “Multi-source edible oil” shall be substituted.

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./250/2022-23]

Note. - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 01st August, 2011 and subsequently amended *vide* notification numbers:

1. F.No.4/15015/30/2011, dated the 08th February, 2013;
2. F. No. Stds/O&F/Notification (2)/FSSAI-2016, dated the 23rd August, 2016;
3. F.No. Stds/F&VP/Notification (02)/FSSAI-2016, dated the 23rd August, 2016;
4. F.No. A-1 (1)/Standards/MMP/2012, dated the 12th October, 2017;
5. F. No. Stds/O&F/Notification (8)/FSSAI-2017, dated the 31st July, 2018;
6. F.No. Stds/Salt/Misc/01/FSSAI-2016 (pt-1), dated the 25th June, 2019;
7. F.No. Stds/Additives-2/Notification/FSSAI/2018, dated the 25th June, 2019;
8. F. No. Stds/Additive-3/notification/FSSAI/2018, dated the 21st July, 2020;
9. F. No. Stds/Agmark-BIS/02/FSSAI-2018, dated the 20th October, 2020;
10. F.No. Stds/O&F/Notification(12)/FSSAI-2019, dated the 26th October, 2020;
11. F.No.Reg/Stds-Khesari dal/FSSAI-2020, dated the 12th January, 2021;
12. F. No. Stds/O&F/Notification(13)/FSSAI-2019, dated the 02nd February, 2021; and
13. F. No. Stds/SP-15/T[T(IMST)], dated the 08th March, 2021.